राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1244/2020

महेश चंद शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.10.2020
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा एलडीसी संवर्ग में 27 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिए जापे और 4200/– रुपये का ग्रेड वेतन नहीं देने के आधार पर प्रस्तुत की है। इसके अलावा, प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के दिनांक 5.10.2020 के अभ्यावेदन पर भी निर्णय नहीं लिया। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी को प्रारंभ में वर्ष 1980 में चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त किया गया था और बाद में वह वर्ष 1982 में एलडीसी के पद पर नियुक्त किया गया था। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी को दिनांक 27.6.1984 के आदेश द्वारा एलडीसी के पद से पदावनत कर दिया गया था और अपीलार्थी ने दिनांक 27.6.1984 के विरुद्ध अपीलार्थी ने अपील संख्या 164/1984 प्रस्तुत की और अधिकरण ने 12.7.1985 को निर्णय पारित किया जिसके तहत पदावनत करने का आदेश निरस्त कर दिया गया और अपीलार्थी को 16.3.1982 से नियमित एलडीसी माना गया। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी को दिनांक 28.11.1987 के आदेश द्वारा एलडीसी संवर्ग में 1986–87 की रिक्ति के विरुद्ध नियमित रूप से समायोजित किया गया था, जिसका अर्थ है कि अपीलार्थी को 1986–87 की रिक्ति के विरुद्ध नियमित रूप से एलडीसी के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन उसे दिनांक 27.2.1999 के आदेश द्वारा 31.3.1989 से स्थायी किया गया था। (अनुलग्नक–4 व 5) अपीलार्थी एलडीसी संवर्ग में दिनांक 25.1.1992 की अधिसूचना के लागू होने के बाद चयन ग्रेड का लाभ पाने का हकदार था लेकिन उन्हें प्रारंभिक कैडर के रूप में चतुर्थ श्रेणी मानते हुए चयन ग्रेड का लाभ दिया

गया। अपीलार्थी को एलडीसी के पद पर नियुक्त किया गया था, फिर भी उसे एलडीसी कैडर में आबंटन माना गया है। एलडीसी और चतुर्थ श्रेणी का कैडर अलग–अलग है और एक बार जब अपीलार्थी एलडीसी के नए कैडर में प्रवेश कर जाता है, तो चयन वेतनमान के उद्देश्य से उसकी सेवाओं की गणना 1982 से शुरू होती है और उसने 2009 में 27 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, लेकिन अपीलार्थी को तृतीय चयन वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया और उसे चतुर्थ श्रेणी कैडर में उसकी प्रविष्टि मानते हुए 3600 रुपये के ग्रेड वेतन में तृतीय चयन की अनुमति दी गई और इसी तरह की स्थिति वाले व्यक्तियों को पहले से ही एलडीसी के पद पर उनकी प्रारंभिक सेवाओं की गणना करते हुए तृतीय चयन ग्रेड का लाभ दिया गया है। एलडीसी के रूप में नियुक्त होने के बाद अपीलार्थी को दो पदोन्नतियां दी गईं, एक यूडीसी के पद पर और दूसरी कार्यालय सहायक के पद पर, जिसे अब सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इस प्रकार, दो चयनित वेतनमान I और II चयनित वेतनमान में विलय कर दिए गए हैं और III चयन वेतनमान वर्ष 2009 में 27 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद देय था, लेकिन अपीलार्थी को उक्त लाभ की अनुमति नहीं दी गई और अंततः अपीलार्थी 31.7.2018 से सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया। अपीलार्थी ने संबंधित प्राधिकारियों से मिलकर 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान करने का अनुरोध किया था, जिसमें एलडीसी के पद पर उसकी प्रारंभिक सेवा भी शामिल है, लेकिन उसे उक्त लाभ नहीं दिया गया और अपीलार्थी 31.7.2018 को सेवानिवृत्त भी हो चुका है। अतः अपीलार्थी ने न्याय की मांग हेतु अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादियों को एक नोटिस भी भेजा, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 5.10.2020 के उक्त नोटिस का भी कोई उत्तर नहीं दिया। (अनुलग्नक–6)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2009 में 27 वर्ष पूरे होने पर तृतीय चयन ग्रेड का लाभ, जिसमें वर्ष 1982 में एलडीसी के संवर्ग में उनकी प्रारंभिक सेवाएं शामिल हैं, सभी परिणामी लाभों के साथ दिए जावे एवं अपीलार्थी को वर्ष 2009 में 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर तृतीय चयन वेतनमान का लाभ प्रदान करने के पश्चात् अपीलार्थी के वेतन, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों को संशोधित किया जावे। साथ ही प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वसूल की गई राशि ब्याज सहित अपीलार्थी को लौटाई जावे।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वर्ष 2008 के संशोधित वेतन नियमों के अनुसार एक चतुर्थ श्रेणी/लिपिकीय/अधीनस्थ सेवा कर्मचारी पूरी सेवा अवधि में केवल तीन वित्तीय उन्नयन के लिए हकदार है। अपीलार्थी को 240–290 के वेतनमान में चतुर्थ श्रेणी

कर्मचारी के पद पर नियुक्त किया गया, तत्पश्चात 19.02.1982 को 355–570 के वेतनमान में एलडीसी के पद पर पदोन्नत किया गया, एलडीसी के पद पर 9 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें 1200–2050 के वेतनमान में द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया गया तथा 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उन्हें 5000–8000 के वेतनमान में तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी को पहले ही तीन वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्त हो चुका था। परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के अनुसार उसे 9 और 18 वर्ष का लाभ प्रदान किया गया है, लेकिन ज्ञापन संख्या एफ.14(88)एफडी (नियम)/2008–1/जयपुर/दिनांक 31.12.2009 के अनुसार, संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान एक कर्मचारी केवल तीन वित्तीय उन्नयन का ही हकदार है, जो अपीलार्थी को पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं। इसलिए 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर वह आगे एसीपी का हकदार नहीं है। अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 20.03.1980 के अनुसरण में 22.03.1980 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर की गई थी और लागू नियमों के प्रावधानों के अनुसार, चूँकि अपीलार्थी को तीन वित्तीय उन्नयनों का लाभ दिया जा चुका है, इसलिए उसके मामले में 27 वर्ष की वार्षिक वेतन वृद्धि (एसीपी) लागू नहीं होती है। अपीलार्थी की नियुक्ति प्रारंभ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर हुई थी और उसके बाद उसे जिला शिक्षा अधिकारी (बालक संस्थान), भरतपुर द्वारा जारी दिनांक 16.02.1982 के आदेश के अनुसरण में 19.02.1982 को निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नत कर राजकीय माध्यमिक विद्यालय महुवासेवर में पदस्थापित किया गया। तथापि, पदोन्नति पर अपीलार्थी का वेतन नियमों के नियम 26ए का लाभ देकर निर्धारित किया गया था। वेतनमान 355–570 में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर अपीलार्थी की पदोन्नति अस्थायी आधार पर की गई थी। तत्पश्चात, जिला शिक्षा अधिकारी (बालक संस्थान), भरतपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 28.11.1987 द्वारा वर्ष 1985–86 और 1986–87 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत पद पर उनका आमेलन किया गया था। अपीलार्थी को 19.02.1982 से एलडीसी के पद पर पदोन्नत किया गया था और तदनुसार उसे 9 और 18 वर्ष का लाभ दिया गया था। प्रथम चयन वेतनमान के लाभ के विरुद्ध अपीलार्थी को चतुर्थ श्रेणी से लिपिक (कनिष्ठ श्रैणी) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई थी। अपीलार्थी ने 19.02.1982 को लिपिक (कनिष्ठ श्रैणी) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था, तद्नुसार, दिनांक 25.01.1992 के परिपत्र के अनुसरण में, उसे 19.02.1991 से 9 वर्ष पूर्ण होने पर चयन वेतनमान का द्वितीय लाभ प्रदान किया गया। अपीलार्थी को पहले ही तीन वित्तीय उन्नयनों का लाभ दिया जा चुका है, अर्थात् चतुर्थ श्रेणी से कनिष्ठ लिपिक में एक पदोन्नति एवं एलडीसी के पद पर 9 और 18 वर्ष की सेवा पूरी करने पर एलडीसी पद पर दो

चयन वेतनमान दिए जाएँगे। इस प्रकार, 2008 के संशोधित वेतन नियमों के अनुसार, अपीलार्थी 27 वर्ष की सेवा पूरी करने पर तृतीय चयन ग्रेड के रूप में चौथे वित्तीय उन्नयन का हकदार नहीं है। अतः अपील खारिज फरमया जावे।

हमने उभय पक्षों के अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रारंभिक नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर 1980 में हुई। उस आदेश दिनांक 16.02.1982 द्वारा पूर्णतया अस्थाई तौर पर तदर्थ आधार पर कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। तत्पश्चात उसे आदेश दिनांक 27.06.1982 द्वारा पदावनत किया जाने पर अधिकरण में अपील संख्या 164/1984 दायर की। अधिकरण ने आदेश दिनांक 12.07.1985 द्वारा अपीलार्थी को तदर्थ आधार पर कनिष्ठ लिपिक पर कार्यरत रखने एवं भविष्य में पद रिक्त होने पर समायोजित करने हेतु आदेशित किया। जिसकी अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 28.11.1987 द्वारा अपीलार्थी को कनिष्ठ लिपिक पद पर एडहॉक आधार पर पदोन्नति दी जाकर उसे वर्ष 1980–87 की रिक्तियों के विरूद्ध कनिष्ठ लिपिक के पद पर समायोजित किया गया एवं आदेश दिनांक 27.02.1999 द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद पर 21.03.1989 से स्थायी किया गया।

उभय पक्ष के कथनों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को कनिष्ठ लिपिक पद पदोन्नति के पश्चात दो चयनित वेतनमान स्वीकृत किए गए है। अपीलार्थी दिनांक 31.07.2018 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो चुका है। अपीलार्थी का कथन है कि चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी एवं कनिष्ठ लिपिक दो पृथक–पृथक सेवा संवर्ग है एवं आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसार प्रत्येक सवंर्ग में तीन वित्तीय उन्नयन देय है। प्रत्यर्थी विभाग का कथन है कि वेतनमान नियम 2008 के अनुसार सम्पूर्ण सेवाकाल में तीन वित्तीय उन्नयन देय है जो एसीपी या पदोन्नति के रूप में हो सकते है। वित विभाग में मेमोरेन्डम दिनांक 21.12.2009 में सेवा में सीधी भर्ती की तिथी से 9, 18 एवं 27 वर्ष की निरन्तर सेवा करने पर तीन वित्तीय उन्नयन देय होने का प्रावधान है।

अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर होने एवं पदोन्नति कननिष्ठ लिपिक के पद पर होने से एवं आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसार प्रत्येक सवंर्ग में तीन वित्तीय उन्नयन स्वीकृत करने का प्रावधान होने से अपीलार्थी मंत्रालियक एवं अधीनस्थ सेवा सवंर्ग में तीन चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी होता है। बशर्ते कि उसका तीसरा चयनित वेतनमान राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षत वेतन) नियम 2008 से पहले देय हो जाता है। प्रत्यर्थी विभाग के जवाब के अनुसार अपीलार्थी को एक पदोन्नति कनिष्ठ लिपिक के पद

पर एवं दो चयनित वेतनमान कनिष्ठ लिपिक के पद की 9 एवं 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर स्वीकृत किए गए है। अतः तीन वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किए जा चुके है। अपीलार्थी के अनुसार उसे कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक एवं कार्यालय सहायक (वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है।

पत्रावली पर तथ्यों की अस्पष्टता है। अपीलार्थी कनिष्ठ लिपिक से उच्चतर पदों पर दो पदोन्नति का कथन किया है परंतु पदोन्नति वर्ष/तिथी का विवरण नहीं है एवं प्रत्यर्थी विभाग ने दो चयनित वेतनमान स्वीकृत करने का कथन किया है परंतु स्वीकृति का विवरण उपलब्ध नहीं है। वस्तुतः चयनित वेतनमान पदोन्नति नहीं होने की दशा में देय होता है।

अतः प्रकरण प्रत्यर्थी विभाग को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी के वरिष्ठ लिपिक एवं कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नति एवं स्वीकृत चयनित वेतनमान को परीक्षक किया जावे। चूंकि अपीलार्थी का कनिष्ठ लिपिक के पद पर जिस वर्ष (दिनांक 31.03.1987) की रिक्तियों के विरूद्ध समायोजन हुआ उससे 9 एवं 18 वर्ष के भीतर क्रमशः प्रथम, द्वितीय पदोन्नति नहीं हुई है तो उसे नियमानुसार प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान जैसी भी स्थिति हो, स्वीकृत किया जाना है एवं यदि 31.03.1987 से 9 एव 18 वर्षों के भीतर प्रथम एवं द्वितीय पदोन्नति हो गई है तो प्रथम एवं द्वितीय जैसी भी स्थिति हो, चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किया जायेगा। तृतीय चयनित वेतनमान की गणना 31.03.1987 से की जाकर यदि यह तिथी पुनरीक्षत वेतनमान 2008 लागू होने से पहले आती है तो तत्समय प्रभावी आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसार मंत्रालियक सेवा संवर्ग में 27 वर्ष की सेवा पूरी होने पर तृतीय चयनित वेतनमान दये होगा। प्रत्यर्थी विभाग उक्तानुसार समस्त तथयों का परीक्षण उस आदेश से 3 माह के भीतर नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करेगा। उक्तानुसार अपील निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य